

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-10/2023-4136 व०प०, राँची, दिनांक-22/10/24
प्रेषक,

जलज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

✓ प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :- मेसर्स DVC द्वारा CCL Karo Konar 33 K.V. DC Transmission Line for 16 MVA Power Supply Arrangement परियोजना हेतु कुल-4.9969 हे० वनभूमि अपयोजन के संबंध में।


प्रसंग :- भारत सरकार, MoEF&CC, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची पत्रांक-FP/JH/TRANS/33711/2018/562 दिनांक-17.09.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि भारत सरकार पत्र द्वारा की गई पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन


(जलज कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।




**कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड, पिन-834002, Email: pccf-ednodal@gov.in

झापांक 969

दिनांक 29/10/2024

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो/बोकारो/अधीक्षण अभियंता (वि०) पा०प्र०नि० (TSC)-III दा०घा०नि० पंचेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय राँची द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण शीघ्र इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।



भारत सरकार / Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय/ Regional Office

पता: द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय, हरमू चौक, राँची, झारखण्ड - 834002
Add: 2nd Floor, Headquarter-Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand - 834002
Tel: 0651-2410002, 2410007; E-mail: ro.ranchi-mef@gov.in



संख्या: FP/JH/TRANS/33711/2018/562

दिनांक: 17.09.2024

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव

वन, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

झारखण्ड सरकार,

नेपाल हाउस, राँची - 834002.

विषय:- मेसर्स DVC द्वारा CCL Karo Konar 33 KV DC Transmission Line for 16 MVA Power Supply Arrangement परियोजना हेतु कुल 4.9969 हे० वन-भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निर्देशानुसार उपरोक्त विषयक आपका पत्र संख्या-वन भूमि-10/2023-3456/व०प० दिनांक 29.08.2024 के सम्बन्ध में अवगत करना है कि उपरोक्त वर्णित परियोजना प्रस्ताव के जाँचोपरान्त यह पाया गया कि प्रस्ताव के ऑनलाइन आवेदन में निम्नलिखित दस्तावेजों/जानकारी को अपलोड कराने की आवश्यकता है:

- I. The KML file of the proposed CA site is not uploaded.
- II. The KML of examined alternative routes of transmission line.
- III. 964 trees were enumerated in the forest land proposed for diversion but all do not require felling. Details of trees proposed for felling may be uploaded in online application.
- IV. Detailed component-wise breakup of proposed forest land for diversion is not mentioned in column in part-I (B-2.4) of online application.
- V. As the proposed route is apparently crossing an existing set of railway tracks in forest, the NOC from railway, the primary agency to whom the piece of forest land was diverted previously, is mandatory. Similarly, transmission line is proposed over an apparent chequered area of BTPS (or others) in forest too, therefore, NOC is solicited from them also. DFO needs to assert that these are no encroachment on the forest land.
- VI. As per the Geo-spatial analysis, it appears that the transmission line is passing through the plotted area (near 23°47'18.80"N, 85°53'50.47"E). Hence, the DFO may clarify the actual status of the said plotted area.
- VII. The transmission line abruptly originates from the forest land leaving a marginal area unmarked at its northern end. The entire area should be appropriately marked to get included in the proposal.

सचिव कोशंग

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग: अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित दस्तावेज / जानकारी को प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु ऑनलाइन में अपलोड कराते हुए प्रेषित किया जाय।

विश्वासभाजन

17 OCT 2024

(31)

(45)

प्रतिलिपि:-

उप वन महानिरीक्षक

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, वन भवन, डोरंडा, राँची ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक- सह – नोडल पदाधिकारी (एफ. सी.), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, वन भवन, डोरंडा, राँची ।